माननीय न्यायालय हरबंस लाल, जे.

भार्पी और अन्य,-याचिकाकर्ता

बनाम

वित्तीय आयोग, हरियाणा, चंडीगढ़ और अन्य,-उत्तरदाता

C.W.P. 1981 की संख्या 5296

23 जुलाई, 2008

भ□□□ □□ □□□□□□□, 1950 — अनुच्छेद 226- पंजाब भू-अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1953-S.24-A (2)- याचिकाकर्ताओं के पक्ष में उपहार विलेख- उत्परिवर्तन की मंजूरी- मूल भू-स्वामी के पास पहले से ही अधिशेष घोषित भूमि- क्या याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी न करना प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है- याचिका खारिज कर दी गई।

अभिनिर्धारित किया गया कि कारण एक अप्रतिरोध्य निष्कर्ष और एक अपरिहार्य निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं कि याचिकाकर्ता शायद ही 'इच्छुक व्यक्ति' वाक्यांश के भीतर आते हैं क्योंकि जिस दिन भूमि अधिशेष घोषित की गई थी, उस दिन भूमि पर उनका कोई कानूनी अधिकार नहीं था। धारा 24-क (2) के प्रावधानों के अनुसार, यदि किसी स्वामी की भूमि अधिशेष क्षेत्र की घोषणा के बीच और उसके उपयोग से पहले समेकन की प्रक्रिया के अधीन है, तो धारा 24-क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी ऐसे व्यक्ति के अधिशेष क्षेत्र को समेकन के बाद उसके द्वारा प्राप्त भूमि क्षेत्र से बाहर रखने में सक्षम होगा।

(□□□□ 15)

इसके अतिरिक्त यह अभिनिर्धारित किया गया कि सुश्री भगवानी ने अधिनियम के सुसंगत उपबंधों को समाप्त करने के लिए अपनी बेटियों के पक्ष में उनकी भूमि के लिए उपहार विलेख निष्पादित और पंजीकृत किया। इसका तात्पर्य यह है कि भूमि उत्तराधिकार के उद्‌घाटन या त्वरण पर याचिकाकर्ताओं के पास नहीं आई थी। वह खुद को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाई थी। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी करने या उन्हें नोटिस न देने की आवश्यकता नहीं थी, जो किसी भी तरह से प्राकृतिक न्याय के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है। (□□□□

16)

याचिकाकर्ताओं के वकील अमित जैन के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण जैन।

रवि दत्त शर्मा, उप महाधिवक्ता, हरियाणा, प्रतिवादियों की ओर से

फैसला

□□□□□□ □□□, □□.

(1) यह सिविल रिट याचिका जीतू की पत्नी भारपाई और जिला सोनीपत की तहसील गोहाना के इसापुर खीरी निवासी श्री चंद की पत्नी प्यारी (संतरा, बिमला, सरोज और पटासा के माध्यम से मृत) ने वित्तीय आयुक्त, हैयाना, चंडीगढ़, आयुक्त, अंबाला डिवीजन, अंबाला, उप-मंडल अधिकारी (सिविल)-सह-कलेक्टर कृषि, रोहतक, धनी राम और शेओ चंद के बेटे जाग राम के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत 31 जनवरी, 1978 (अनुलग्नक पी-एल) 17 अगस्त, 1979 (अनुलग्नक पी-2) और 12 फरवरी, 1980 (अनुलग्नक पी द्वारा पारित) के खिलाफ दायर की है।

(2) इस याचिका को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि श्रीमती भगवानी ने 13 जनवरी, 1960 को अपनी बेटियों भरपाई और प्यारी के पक्ष में एक उपहार दिया था, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। उत्परिवर्तन सं। लगभग 34 मानक एकड़ क्षेत्र के 1444 दिनांक 29 अक्टूबर, 1963 को स्वीकृत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता भूमि के पूर्ण मालिक बन गए। उप-मंडल अधिकारी (सिविल)-सह-कलेक्टर कृषि, रोहतक-प्रत्यर्थी ने दिनांक 9 दिसंबर, 1976 के एकतरफा आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ताओं को कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर दिए बिना मूल भूमि मालिक भगवान के पास याचिकाकर्ताओं के अधिशेष का क्षेत्र घोषित कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने 12 जनवरी, 1978 को उपर्युक्त प्रतिवादी-उप-विभागीय अधिकारी (सिविल)-सह-कलेक्टर कृषि अधिकारी, रोहतक के समक्ष इस आधार पर एक आवेदन दायर किया कि वे वर्ष 1960 में पूर्ण स्वामी बन गए थे और उनके हितों के खिलाफ कोई भी आदेश पारित करने से पहले उन्हें सुनवाई का अधिकार था। इस प्रत्यर्थी ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया-दिनांक 31 जनवरी, 1978 के आदेश के अनुसार (अनुलग्नक पी1) उन्होंने आयुक्त, अंबाला डिवीजन, अंबाला संवाददाता को अपील की, जिन्होंने भी इसे खारिज कर दिया-17 अगस्त, 1979 के आदेश के माध्यम से (Annexure P-2). फिर, वे हरियाणा के वित्तीय आयुक्त के समक्ष पुनरीक्षण में गए, जिन्होंने भी इसे खारिज कर दिया-उनके 12 फरवरी, 1980 के आदेश के अनुसार (Annexure P-4). रोहतक के एक वकील की सलाह पर, याचिकाकर्ताओं ने उप-मंडल अधिकारी (सिविल)-सह-कलेक्टर कृषि, रोहतक के

समक्ष विविध आवेदन दायर किया और बेदखल करने पर रोक लगा दी। उस आवेदन को 20 दिन पहले खारिज कर दिया गया था और अब प्राधिकरण याचिकाकर्ताओं को विवादित भूमि से बाहर करने पर आमादा है। आक्षेपित आदेशों, अनुलग्नक पी-1, पी-2 और पी-4 को इस याचिका में सन्निहित आधारों पर चुनौती दी गई है।.

(3) अपने संयुक्त लिखित बयान में, उत्तरदाता नं. 1 से 3 ने प्रतिवाद किया है कि भगवानी ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कृषि भूमि का उपहार 13 जनवरी, 1960 को दिया था, न कि 13 जनवरी, 1980 को। 34.4 मानक एकड़ भूमि के उत्परिवर्तन को याचिकाकर्ताओं के पक्ष मंजूरी दी गई थी, जो कभी भी कथित उपहार के आधार पर भूमि के मालिक नहीं बने क्योंकि 13 जनवरी, 1960 यानी 1 जनवरी, 1960 को अधिशेष क्षेत्र की घोषणा के बाद भगवानी से संबंधित 73 मानक एकड़ और 3-1/4 इकाइयों की कुल जोत में से 30 मानक एकड़ को अनुमेय क्षेत्र के रूप में उनके पास रखा गया था। 34 मानक एकड़ और 4 इकाइयों की भूमि को किरायेदार अनुमेय क्षेत्र घोषित किया गया था, जबकि 8 मानक एकड़ और 15-1/4 इकाइयों को अधिशेष क्षेत्र घोषित किया गया था। चूंकि उक्त भूमि को 1 जनवरी, 1960 को घोषित किया गया था, इसलिए किसी भी माध्यम से कोई भी हस्तांतरण अमान्य हो जाता है। याचिकाकर्ता कभी भी इस मुद्दे या मामले में पक्षकार नहीं थे, इसलिए उन्हें कोई नोटिस देने या उनकी सुनवाई करने का सवाल ही नहीं उठता था। उक्त तिथि पर उपहार के रूप में भूमि का तथाकथित हस्तांतरण अवैध था और इसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाना था। इसलिए, धारा 24-ए (2) आईबीआईडी के तहत आदेश कानूनी था। "किरायेदारों के अनुमेय क्षेत्र" के रूप में छोड़े गए क्षेत्र को इन किरायेदारों से मुक्त कर दिया गया था और इसे स्व-खेती के तहत दिखाया गया था। वर्ष 1965-66 में हुए समेकन के परिणामस्वरूप भगवान की पूरी जोत 10 एकड़ कम हो गई। इसलिए, रोहतक के कलेक्टर कृषि ने 30 मानक एकड़ को अनुमेय क्षेत्र के रूप में अनुमति देने के बाद, 33 मानक एकड़ और भारत और अन्य बनाम वित्तीय आयुक्त, 3 हरियाणा चंडीगढ़ और अन्य (हरबंस लाई, जे) घोषित किया। अधिशेष के रूप में 6-1/4 इकाइयाँ। विवादित आदेश सख्ती से प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार हैं। याचिकाकर्ताओं का यह दावा कि वे इच्छुक पक्ष थे और नोटिस के हकदार थे, असमर्थनीय है और गलत धारणाओं पर आधारित है। भगवान द्वारा 13 जनवरी, 1960 को उपहार के रूप में भूमि का हस्तांतरण शुरू से ही अमान्य था और भूमि कभी भी याचिकाकर्ताओं में निहित नहीं थी। इसलिए, किसी भी नोटिस को जारी करने का सवाल ही नहीं उठता है। भगवान ने 13 जनवरी, 1960 को इस भूमि को किरायेदार अनुमेय क्षेत्र घोषित करने के बाद याचिकाकर्ताओं के पक्ष में पूरे

"किरायेदारों अनुमेय क्षेत्र" को हस्तांतरित कर दिया। भगवान द्वारा दिए गए उपहार के संबंध में नीचे दिए गए विद्वान न्यायालयों के निष्कर्ष सही और कानूनी हैं। उसने केवल क्षेत्र को कम करने के लिए उपहार को निष्पादित किया। इन परिस्थितियों में, यह याचिका लागत के साथ खारिज होने के योग्य है|

(4) मैंने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है।

(5) याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरुण जैन ने दृढ़ता से तर्क दिया कि याचिकाकर्ता भगवानी की बेटियां होने के नाते इच्छुक व्यक्ति हैं और इसलिए, उन्हें तलब करने और सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों को सरलता से पढ़ने से पता चलेगा कि इच्छुक व्यक्तियों को सुनवाई का अधिकार था। इस प्रकार याचिकाकर्ताओं को सुना जाना चाहिए था क्योंकि भगवानी ने वर्ष 1960 में उनके पक्ष में अपने सभी अधिकारों का त्याग कर दिया था। उन्होंने बार में आगे प्रचार किया कि केवल वही क्षेत्र जो वास्तव में उसके पास स्वामित्व में था, धारा 24-(ए) (2) के तहत कार्यवाही में अधिशेष घोषित किया जा सकता है। याचिकाकर्ता छोटे भूमि मालिक होने के कारण, उनके हाथ में क्षेत्र को अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिशेष घोषित नहीं किया जा सकता था। 9 दिसंबर, 1976 के आदेश के आधार पर याचिकाकर्ताओं को उनकी होल्डिंग्स से बेदखल करना पूरी तरह से अमान्य है। नीचे दिए गए विद्वत न्यायालयों द्वारा इस आशय से वापस किए गए निष्कर्ष कि कथित उपहार अधिशेष क्षेत्र के निपटान के लिए किया गया था, पूरी तरह से अनावश्यक और आधारहीन हैं। अपनी दलीलों को सामने लाने के लिए उन्होंने श्री बाबू राम और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (1) और अशोक कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में प्रस्तुत टिप्पणियों पर बहुत अधिक भरोसा करने की कोशिश की है।

(6) इन दलीलों पर गौर करने के लिए हरियाणा के उप महाधिवक्ता श्री रवि दत्त शर्मा ने जोर देकर कहा कि 1 जनवरी, 1960 को अपनी भूमि को अधिशेष घोषित किए जाने के तुरंत बाद अपनी बेटियों-याचिकाकर्ताओं के पक्ष में भगवानी द्वारा कथित उपहार विलेख का निष्पादन अपने आप में इस तथ्य का संकेत है कि उन्होंने अपनी भूमि को बचाने के लिए यह योजना तैयार की थी। कथित उपहार से पहले भूमि को अधिशेष घोषित किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता किसी भी तरह से इच्छुक व्यक्ति नहीं थे। इसलिए, अधिकारी उन्हें सुनवाई का अवसर देने के लिए बाध्य नहीं थे। इस रुख को मजबूत करने के लिए उन्होंने प्रीतम सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (3) और एस. बलवंत सिंह चोपड़ा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य का उल्लेख किया।

(7) मैंने प्रतिद्वंद्वी विवादों पर गहरा और विचारशील विचार किया है।.

(8) निर्धारण के लिए प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ता "इच्छुक/संबंधित व्यक्तियों" की वैधानिक परिभाषा के भीतर आते हैं? पंजाब भू-अधिकार सुरक्षा नियम, 1956 का नियम 6 (3) इस प्रकार हैः -

"6 (3) सर्कल राजस्व अधिकारी, ऐसी जांच करने के बाद जो वह उचित समझे और संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को भेजेगा। "

(9) इस भाषा को केवल पढ़ने से यह समझा जा सकता है कि संबंधित व्यक्तियों को सुनने का अवसर दिया जाना चाहिए। संबंधित व्यक्ति वह है जो संबंधित कार्यवाहियों में अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित प्राधिकारी द्वारा पारित किए जाने वाले आदेश से पूर्वाग्रहपूर्ण और गंभीर रूप से प्रभावित होने की संभावना रखता है। दूसरे शब्दों में, ऐसे व्यक्ति वे हैं जिनके हितों पर अधिशेष क्षेत्र की इस तरह की घोषणा से प्रभाव पड़ने की संभावना है। वे भूमि के मूल मालिक, पुराने किरायेदार और ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनका उस भूमि पर कानूनी अधिकार है जो कार्यवाही का विषय है और वह अधिकार जो अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त या मान्यता प्राप्त है। इस मामले में कार्यवाही रोहतक के कलेक्टर अग्रेरियन द्वारा अधिनियम की धारा 24-ए (2) के तहत की गई थी। भगवान के पास 73 मानक एकड़, 3-1/4 यूनिट भूमि थी, जिसमें से 30 मानक एकड़ अनुमेय क्षेत्र और 34 मानक एकड़ किरायेदार अनुमेय क्षेत्र छोड़ दिया गया था और 8 मानक एकड़ 15-3/4 यूनिट को अधिशेष घोषित किया गया था। बाद में, समेकन के परिणामस्वरूप 1965-66 में उसका क्षेत्र 10 एकड़ कम हो गया, इसलिए, कलेक्टर ने 30 मानक एकड़ को अनुमेय क्षेत्र

के रूप में अनुमति देने के बाद, 33 मानक एकड़ और 6-1/2 इकाइयों को अधिशेष घोषित किया। यह याचिकाकर्ताओं का अपना मामला है कि भगवान ने अपनी बेटियों को पूरी जमीन उपहार में दी थी (याचिकाकर्ताओं का हवाला देते हुए)-दिनांक 13 जनवरी, 1960 के पंजीकृत उपहार विलेख के अनुसार, जो कि अधिशेष घोषित भूमि है। पुनःः श्री बाबू राम और अन्य (ऊपर) अधिशेष क्षेत्र घोषित करने की कार्यवाही शुरू होने से कई साल पहले, भूमि मालिक ने अपनी अधिकांश भूमि उपहार में दी थी और उन लोगों को राजस्व अभिलेखों में उस भूमि के मालिक के रूप में दर्ज किया गया था। दानियों को नोटिस जारी नहीं किया गया था। इन परिस्थितियों में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जिन लोगों को भूमि के स्वामी के रूप में अभिलिखित किया गया था, वे नियम 6 (3) की परिभाषा के तहत "इच्छुक व्यक्ति" थे। इस प्रकार, एक संयुक्त अध्ययन पर श्री बाबू आर. एम. के मामले (उपर्युक्त) के तथ्य वर्तमान से अलग हैं। पुनः अशोक कुमार चौधरी मनोहर लाई के पास गाँव भंडोर में 174 बीघा 1 बिस्वा भूमि थी। उनकी मृत्यु के बाद, उनकी पत्नी मक्तुल कौर ने 27 जुलाई, 1952 के एक पंजीकृत दत्तक विलेख के माध्यम से याचिकाकर्ता को मनोहर लाई के बेटे के रूप में गोद लिया। इस गोद लेने के बाद, उन्होंने याचिकाकर्ता को उक्त गांव में स्थित 33 बीघा जमीन उपहार में दी। याचिकाकर्ता को गोद लेने के बाद, उसके साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो गए, जिसके परिणामस्वरूप, उसने लगभग 41 बीघा जमीन फुलु राम आदि को बेच दी। 1957 और 1958 में और 20 मई, 1958 को अपनी बेटियों को बची हुई जमीन उपहार में दी। याचिकाकर्ता ने अधीनस्थ न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, रेवाड़ी की अदालत में दायर एक मुकदमे के माध्यम से इन अलगावों को चुनौती दी, जिसमें दावा किया गया कि उसके गोद लेने के बाद, मकतुल कौर का भूमि पर कोई अधिकार या हित नहीं था। मुकदमे का फैसला सुनाया गया और इस अदालत द्वारा डिक्री को बनाए रखा गया। फरमान के आधार पर, उन्होंने कब्जा प्राप्त किया। उपरोक्त मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, अतिरिक्त क्षेत्र की घोषणा के लिए मक्तुल कौर के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई और उन कार्यवाही में अंततः 95 मानक एकड़ को उनके हाथों में अधिशेष घोषित किया गया। इस प्रकार, इस मामले में फिर से की गई टिप्पणियां वर्तमान याचिकाकर्ताओं के लिए कोई सहायता नहीं हैं|

(10) [illegible] 19-B [illegible]: -

"19 [illegible]. [illegible].

(1) [illegible] 10-[illegible], [illegible], [illegible], [illegible] 30 [illegible], 1958, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] 5-[illegible] [illegible].

(2) □□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□, □□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□-□□□□□ (2) □□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ 5-□□.

(3) □□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□, □□ □□□□□ 5-□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□.

(4) □□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ 10-□ □□ □□□□ (□) □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□

> [illegible]."

(11) [illegible] 10-[illegible]: —

> **"10-[illegible].** [illegible] —
>
> (a) [illegible] (i) [illegible], [illegible] 9 [illegible] (1).
>
> (b) [illegible] [[illegible]] [illegible], [illegible] ([illegible]) [illegible].
>
> [illegible] — [illegible]- [illegible]

[illegible]]

(c) [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]”."

(12) [illegible] 24-[illegible]: —

[24-[illegible]. [illegible]

□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□, □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□, □□, □□□□□ □□ □□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□, □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□, □□□□□□□ □□ □□□, □□□□□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□ **encfuiry** □□ **affording** □□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□, □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□.

(□) □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□, □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□, □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□□□□ **(1)** □□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□."

(13) यहां इस मामले में, 31 जनवरी, 1978 के आदेश के अनुलग्नक पी-1 में, यह उल्लेख किया गया है कि उप-तहसीलदार कृषि द्वारा यह तर्क दिया गया था कि आवेदकों (वर्तमान याचिकाकर्ताओं का हवाला देते हुए) ने वह भूमि खरीदी थी जो बड़े भूमि मालिकों के अनुमेय क्षेत्र में नहीं थी और इसलिए इसे धारा 24-ए (2) के तहत अलग रखा गया था और आवेदकों ने किरायेदारों के तहत भूमि खरीदी थी और उसी को स्व-खेती के रूप में लिया था। उप-मंडल अधिकारी (सिविल)-सह-कलेक्टर कृषि, रोहतक-प्रत्यर्थी ने इस आदेश में कहा है कि "भूमि का यह हस्तांतरण केवल अधिशेष भूमि को ध्वस्त करने के लिए किया गया है"। अनुलग्नक पी-2 के पैराग्राफ 4 में, अंबाला डिवीजन के आयुक्त, अंबाला-प्रत्यर्थी ने कहा है कि "कलेक्टर कृषि, रोहतक, दिनांक 31 जनवरी, 1978 के आदेश से यह स्पष्ट है कि हस्तांतरण बड़े भूमि मालिक के अनुमेय क्षेत्र से नहीं था और इसलिए इसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए। इसलिए, धारा 24-ए (2) आई. बी. आई. डी. के तहत कार्यवाही में अपीलार्थियों को नोटिस देना आवश्यक नहीं था और केवल भूमि मालिक को सुना जा सकता है। आयुक्त ने कहा, "मैं कलेक्टर कृषि, रोहतक के फैसले से पूरी तरह सहमत हूं कि स्थानांतरण भारत और एक अन्य बनाम वित्तीय आयुक्त, 9 हरियाणा चंडीगढ़ और अन्य (हरबंस लाई, जे) द्वारा किया गया था। 10 I.L.R. पंजाब और हरियाणा 2009 (2) अधिशेष भूमि को नष्ट करने के लिए और अपीलार्थियों (वर्तमान याचिकाकर्ताओं के संदर्भ में) को अधिशेष पूल से छूट नहीं

दी जा सकती है। वित्त आयुक्त-प्रत्यर्थी ने अपने दिनांक 12 फरवरी, 1980 के आदेश (अनुलग्नक पी-4) में कहा है कि "लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि किसी न किसी कारण से उक्त किरायेदार अब उस भूमि के कब्जे में नहीं थे, जहां कलेक्टर ने 9 दिसंबर, 1976 को 1953 अधिनियम की धारा 24-ए (2) के तहत आदेश पारित किए थे और इसलिए, पूरे अनुमेय किरायेदारों को अधिशेष भी घोषित किया गया था। यह भी कहा गया है कि "पंजाब किरायेदारी अधिनियम, 1887 की धारा 84 (यू) की शर्तों में पहले से पारित आदेशों के संशोधन में हस्तक्षेप करना अनुचित है, विशेष रूप से क्योंकि केवल वे पक्ष जो संभवतः विवादित आदेश से व्यथित हो सकते थे, अर्थात् पुराने किरायेदारों ने इसे कहीं भी चुनौती नहीं दी है।."

(14) इन आदेशों से यह पता चलता है कि किरायेदारों का अब उस भूमि पर कब्जा नहीं था, जो अनुमत क्षेत्र में किरायेदार होने के कारण अधिशेष से छूट दी गई थी। ऐसी भूमि याचिकाकर्ताओं द्वारा किरायेदारों को बेदखल करके अपनी खेती के लिए ली गई थी। जहां तक याचिकाकर्ताओं द्वारा स्थापित उपहार विलेख का संबंध है, यह क्षेत्र को अधिशेष घोषित किए जाने के बाद अस्तित्व में आया। इससे संकेत मिलता है कि यह विलेख उस भूमि को बचाने के लिए अस्तित्व में लाया गया था जिसे अधिशेष घोषित किया गया था।

(15) ऊपर बताए गए कारण एक अप्रतिरोध्य निष्कर्ष और एक अपरिहार्य निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं कि याचिकाकर्ता शायद ही 'इच्छुक व्यक्ति' वाक्यांश के भीतर आते हैं क्योंकि जिस दिन भूमि को अधिशेष घोषित किया गया था, उस दिन भूमि पर उनका कोई कानूनी अधिकार नहीं था। धारा 24-क (2) के प्रावधानों के अनुसार, यदि किसी स्वामी की भूमि अधिशेष क्षेत्र की घोषणा के बीच और उसके उपयोग से पहले समेकन की प्रक्रिया के अधीन है, तो धारा 24-क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी ऐसे व्यक्ति के अधिशेष क्षेत्र को समेकन के बाद उसके द्वारा प्राप्त भूमि क्षेत्र से बाहर रखने के लिए सक्षम होगा। अनुलग्नक पी-1 में, यह उल्लेख किया गया है कि धारा 24-ए (2) आईबीआईडी के तहत कार्यवाही में, यह जानकारी मिली कि जोतों के समेकन के कारण भूमि में 1 मानक एकड़ और 1-1/2 इकाइयों की कमी आई है और किरायेदारों के तहत भूमि भी भूमि मालिकों द्वारा जारी की गई थी और इस तरह, शेष 33 मानक एकड़, 6-1/4 इकाइयों को अधिशेष घोषित किया गया था। यह आगे उल्लेख किया गया है कि उन्होंने (वर्तमान याचिकाकर्ताओं का उल्लेख करते हुए) भूमि को किरायेदारों से बेदखल कर दिया है और धारा 24-ए (2) के तहत कार्यवाही में इस भूमि को अधिशेष पूल में शामिल किया गया है और यह आवेदन अधिशेष भूमि की घोषणा के एक साल बाद दिया गया है। पुनः: प्रीतम सिंह और अन्य (ऊपर) अंतिम पुरुष

धारक ने अपनी भूमि का एक हिस्सा अपने बेटों और बेटियों को उपहार में दिया था। इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने कहा कि "जहां अंतिम पुरुष धारक ने सारी भूमि अपने पास वापस रख ली है और पेप्सू किरायेदारी और कृषि भूमि अधिनियम के प्रावधानों को समाप्त करने के लिए, अपने बेटों और बेटियों के पक्ष में अधिशेष भूमि को विभाजित कर दिया है, तो वर्तमान मामले में उपहार को उत्तराधिकार का त्वरण नहीं माना जा सकता है। "त्वरण उत्तराधिकार" का सिद्धांत केवल तभी लागू होगा जब अंतिम पुरुष धारक खुद को पूरी तरह से मिटा देता है।

(16) तत्काल मामले में, यह बहुत स्पष्ट है कि भगवानी ने अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को समाप्त करने के लिए, अपनी बेटियों के पक्ष में उपहार विलेख को निष्पादित और पंजीकृत किया। इसका तात्पर्य यह है कि भूमि उत्तराधिकार के उद्घाटन या त्वरण पर याचिकाकर्ताओं के पास नहीं आई थी। उसने खुद को पूरी तरह से मिटाया नहीं था। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी करने या उन्हें नोटिस न देने की आवश्यकता नहीं थी, जो किसी भी तरह से प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है। पुनः एस. बलवंत सिंह चोपड़ा और अन्य (ऊपर) को निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः -: —

> "[illegible] 6, 1956, [illegible] 15 [illegible], 1953 [illegible], 1957 [illegible]

□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□
□□□□."

(17) हरियाणा राज्य और अन्य बनाम सम्पूरन सिंह और अन्य, और पंजाब राज्य और दूसरा बनाम परदम सिंह और अन्य शीर्ष न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी कीः —

> "[illegible] 19 [illegible]. [illegible] 10A [illegible] 19B. [illegible] 10 [illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible]. [illegible] 10 [illegible] ([illegible]) [illegible]. [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] 10 [illegible] ([illegible]) [illegible]. [illegible], [illegible] 19 [illegible].

[illegible], [illegible].

[illegible], [illegible] 19 [illegible], [illegible], [illegible]

□□□□□□ □□□, □□ □□□□□□ □□ □□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□. □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□□□□. □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□. □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□, □□□□ '□□□□□□□□ □□□□□□□□' □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ ”

(18) तत्काल मामले में, याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें 13 जनवरी, 1960 के उपहार विलेख के आधार पर भूमि मिली, जो स्पष्ट रूप से 15 अप्रैल, 1953 के बाद है। इस प्रकार, उपरोक्त निष्कर्षित टिप्पणियों के आलोक में मामले को देखने पर, याचिकाकर्ताओं को कोई नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं थी और न ही उन्हें सुनने का अवसर देने की आवश्यकता थी.

(19) याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कथित उपहार अधिनियम की मूल योजना के प्रतिकूल है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस क्षेत्र को पहले ही 1 जनवरी, 1960 को अधिशेष घोषित किया जा चुका था। वास्तव में, भगवान को अपने आरक्षित क्षेत्र का चयन करने के लिए समय दिया गया था, जिसे वह बनाए रखना और आवश्यक घोषणा करना पसंद करती थी। इस अंतराल के दौरान, उन्होंने अपनी बेटियों के पक्ष में उपहार विलेख को निष्पादित और पंजीकृत करके कानून के मूल उद्देश्य को विफल करने का प्रयास किया

(20) पूर्ववर्ती चर्चा को ध्यान में रखते हुए, आक्षेपित आदेशों को रद्द करते हुए वांछित रिट जारी करने का कोई मामला नहीं बनाया गया है। नतीजतन, यह याचिका खारिज कर दी जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण

प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

कार्तिक शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

नूँह, हरियाणा